No.14030/2/79-Estt.(B)
Government of India
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Department of Personnel and Administrative Reforms
....

New Delhi, the 11th October, 1979

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Instructions regarding the appointment of non-Indians to civil posts under the Government of India and to posts in corporations, public undertakings, autonomous bodies, etc. under the administrative control of the Government of India administrative control of the Government of India furnishing of returns regarding the appointment of .

....

As the Ministry of Finance etc. are aware, the appointment of non-Indians to civil posts under the Government of India should be made only in exceptional circumstances and then also, only on contract for the minimum period necessary and simultaneously suitable steps should be taken to train Indians to fill such posts on a regular basis. The basic principles were laid down in the late Home Department Office Memorandum No.20/106/46-Estt.(S) dated the 4th November, 1946. These instructions were also extended to the appointments made in public undertakings, corporations, autonomous bodies which are under the administrative control of the Government of India vide Home Department's Office Memorandum No.20/106/46-Estt.(S) dated the 16th December, 1946. (For gist of these instructions attention is invited to Chapter VII of the Handbook for Personnel Officers issued by this Department in 1975 (a priced publication obtainable from Controller of Publications, NewDelhi).

2. Although under the earlier instructions referred to above, each such case of appointment of a non- Indian was to be made only with the concurrence of the Ministry of Home Affairs powers in this regard were delegated to the administrative Ministries/ Departments of the Government of India vide Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/55/CS(C)dated the 14th July, 1955. According to this O.M. which is still in force, administrative Ministries/Departments are competent to decide cases of appointments of non- Indians to posts under their administrative control, keeping in view the general policy laid down in the Home Department Office Memorandum dated the 4th November, 1946 and after obtaining the orders of the Minister-in-charge. At the same time, the Ministries/Departments are required to furnish half-yearly returns in the prescribed proforma to the Ministry of Home Affairs for the period ending [/ 30th June, and for the period ending] 31th December, every year. These returns should also include appointments made in public undertakings, corporations, autonomous bodies, etc.

3. Inspite of the instructions issued earlier vide this Department's Office Memo No. 14030/1/76-Estt.(B) dated the 13th November,1976,this Department are not receiving the half-yearly returns in time. Further, such returns were also being received in piecemeal for individual offices, although instructions were issued earlier to the effect that such returns should be sent as a whole for one Ministry/ Department. In other words,a consolidated statement was required to be sent in respect of each Ministry/Department including its attached and subordinate offices as well as public undertakings, autonomous bodies, corporations,etc.

4. The need for furnishing the returns in time for the period in question needs hardly to emphasised -as late receipt or non-receipt ofsuch returns will defeat the very purpose for which they are required. The returns are intended for keeping a watch on non-Indians by the authorities concerned and for reporting undesirable activities, if any , for taking appropriate action. It is , therefore, necessary that the returns should not only be furnished to this Department in time, but such returns should also contain information in respect of one Ministry/Department as a whole. This Department do not have information on the various attached/ subordinate offices, public undertakings, autonomous bodies, corporations, etc. which are under the administrative control of other Ministries/Deptts.and, in the absence of such information, it will not be possible to verify whether the information is complete in respect of all offices under a particular Ministry/Department or not. It is, therefore, for each individual Ministry/Department to ensure that the returns sent to this Department are complete in all respects.

5. In the past, it has been observed that the returns received by this Department also included appointments of citizens of adjacent countries like Nepalese whose particulars were included in the statements relating to appointments of non-Indians. It is clarified once again that the existing standard rule for recruitment to Central Services/posts provide for appointment of subjects of Nepal,Bhutan,Tibetan refugees who came to India prior to 1.1.62 with the intention of permanently settling in India, migrants (persons of Indian origin) from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania(formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India, subject to the issue of certificate of eligibility by the Government of India/respective public undertaking, autonomous bodies,etc. It is not, therefore, necessary to include persons belonging to above-mentioned categories in the returns.

....3/-

6. The existing proforma for furnishing the return regarding appointment of non-Indian and also the periodicity for such return have since been reviewed. It has now been decided that while the proforma for furnishing the return need not require any change, furnishing of such returns by the Ministries/Departments every half-year, should be dispensed with. Instead, there should be a single return from each Ministry/Department for the period ending 31st December of each year. A copy of the proforma is enclosed. The Ministry of Finance, etc. are requested to furnish the return in the prescribed proforma in duplicate, but in two statements, one statement containing information in respect of Central Government offices (Ministry/Department including its attached /subordinate offices) and another statement containing information in respect of all public undertakings/ autonomous bodies/corporations, etc. Besides the above, the information in regard to appointments made in other capacities under agreement with foreign countries viz. TCM, Colombo Plan, etc. should be given separately in the respective statements, as the case may be.

7. It is requested that the return (in duplicate for the year ending 1979 in the prescribed proforma may be furnished to this Department at the latest by 13 th February, 1980. In respect of the subsequent periods, such returns should be furnished by the 15th February of each year. 'Nil' returns also should be sent.

Sd/- J.K.Sarma

Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries / Deptts. of Government of India

Annual statement showing particulars regarding non-Indians employed under the Government of India

Name of Ministry/Department/Public Undertakings/Corporations/Autonomous bodies, etc.

Sl. No.	Name	Designation	Classification of the post	Nature of the post i.e whether administrative/ Executive/ Technical/ Scientific or other special foreign languages posts or subordinate posts	Nationality	Pay and allowances	Place of posting	Date of arrival in India	Date of appointment	Period of appointment	Whether suitable steps taken to replace services of officers	Probable time when services of the officer would be replaced
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(i) <u>In civil posts</u> :
Ministry/Department (Seperate statement)

(ii) In public undertakings/corporations etc.
(Seperate statement)

Note : Appointments made in other capacities under agreements with foreign countries viz. T.C.M., Colombo Plan, etc. should be mentioned at the end, if any.

संख्या 14030/2/79-स्था0(ख)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 11 अक्तूबर, 1979.

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:- गैर-भारतीयों की भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के पदों पर नियुक्ति के संबंध में अनुदेश - इन नियुक्तियों के संबंध में विवरणियां भेजा जाना ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को विदित है कि भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर गैर-भारतीयों की नियुक्ति केवल आपवादिक परिस्थितियों में और वह भी न्यूनतम आवश्यक अवधि के लिए सिर्फ अनुबन्ध पर ही की जानी चाहिए और साथ-साथ नियमित आधार पर ऐसे पदों को भरने के लिए भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए । मूल सिद्धान्त, भूतपूर्व गृह विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1946 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20/106/46-स्था0(एस0) में निर्धारित किए गए थे । ये अनुदेश गृह विभाग के 16 दिसम्बर, 1946 के कार्यालय ज्ञापन सं0 20/106/46-स्था0(एस) द्वारा उन सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों में की गई नियुक्तियों पर भी लागू किए गए थे जो भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं । इन अनुदेशों के सारांश के लिए 1975 में इस विभाग द्वारा जारी की गई कार्मिक अधिकारियों की पुस्तिका के अध्याय 7 की ओर ध्यान दिलाया जाता है (यह एक समूल्य प्रकाशन है जो प्रकाशन नियंत्रक, नई दिल्ली से प्राप्त की जा सकती है) ।

2. यद्यपि ऊपर उल्लिखित पहले के अनुदेशों के अधीन गृह मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/55-सी0एस0(सी0) के द्वारा प्रत्येक ऐसे मामले में किसी गैर-भारतीय की नियुक्ति गृह मंत्रालय की सहमति से ही की जानी थी परन्तु इस संबंध में शक्तियां भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित की गई थी । इस समय भी लागू इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पदों पर गैर-भारतीयों की नियुक्तियों के मामलों का निर्णय गृह विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1946 में निर्धारित सामान्य नीति को दृष्टि में रखते हुए तथा प्रभारी मंत्री के आदेश प्राप्त करने के बाद करने में सक्षम है । उसी समय मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जून को समाप्त होने वाली अवधि तथा 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए गृह मंत्रालय को निर्धारित प्रपत्र में छमाही

विवरणी भेजना आवश्यक है इन विवरणियों में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों आदि में की गई नियुक्तियां भी शामिल होनी चाहिए ।

3. इस विभाग के दिनांक 18 नवम्बर, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14030/1/76-स्था0(ख) द्वारा पहले जारी किए गए अनुदेशों के बावजूद भी छमाही विवरणियां इस विभाग में प्राप्त नहीं हो रही हैं । इसके अतिरिक्त ऐसी विवरणियां अलग-अलग कार्यालयों द्वारा भी अलग-अलग भेजी जाती रहीं थी, यद्यपि पहले इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि एक मंत्रालय/विभाग द्वारा ऐसी विवरणियां इकट्ठी भेजी जानी चाहिएं । दूसरे शब्दों में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, निगमों आदि सहित प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में एक समेकित विवरणी भेजा जाना आवश्यक था ।

4. संबंधित अवधि के लिए विवरणियां समय पर भेजने की आवश्यकता पर सख्त जोर दिए जाने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ऐसी विवरणियों की देरी से प्राप्ति अथवा अप्राप्ति से वह मुख्य प्रयोजन ही बेकार हो जाएगा जिसके लिए उनकी आवश्यकता है । इन विवरणियों का आशय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा गैर-भारतीयों पर नजर रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों पर, यदि कोई हो, समुचित कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट करना है । अत: यह आवश्यक है कि उक्त विवरणियां न केवल इस विभाग को समय पर ही भेजी जानी चाहिए बल्कि ऐसी विवरणियों में एक मंत्रालय/विभाग के संबंध में संपूर्ण सूचना भी होनी चाहिए । इस विभाग के पास विभिन्न संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, निगमों आदि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है जो अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और ऐसी सूचना के न होने पर यह सत्यापित करना संभव नहीं होगा कि क्या किसी विशिष्ट मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी कार्यालयों के संबंध में सूचना पूरी है अथवा नहीं । इसलिए अलग-अलग मंत्रालय/विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस विभाग को भेजी गई विवरणियां सभी प्रकार से पूरी हैं ।

5. गत समय में यह देखा गया था कि इस विभाग द्वारा प्राप्त विवरणियों में पड़ोसी देशों, जैसे नेपाल के नागरिकों की नियुक्तियां भी शामिल थी जिनके ब्यौरे गैर-भारतीयों की नियुक्ति से संबंधित विवरणों में शामिल किए गए थे । यह बात पुन: स्पष्ट की जाती है कि केन्द्रीय सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए वर्तमान मानक नियम नेपाल, भूटान की प्रजा तिब्बत के वे शरणार्थी, जो 1.1.1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से आये थे और भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, उगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व तांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जयरे, इथोपिया तथा वियतनाम के प्रवासियों (भारतीय मूल के व्यक्तियों) की नियुक्ति के लिए व्यवस्था करता है बशर्ते कि भारत सरकार/संबंधित-सार्वजनिक-उपक्रम, स्वायत्त-निकाय आदि

....3/-

पालन का प्रमाण पत्र जारी करें । इसलिए ऊपर उल्लिखित कार्यों से संबंधित व्यक्तियों को विवरणियों में शामिल करना आवश्यक नहीं है ।

6. गैर-भारतीयों की नियुक्ति से संबंध में विवरणी भेजने के लिए वर्तमान प्रपत्र और ऐसी विवरणी के लिए भी अब समीक्षा कर ली गई है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि जब विवरणी भेजने के लिए प्रपत्र में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रत्येक छमाही में ऐसी विवरणियां भेजना बन्द किया जाना चाहिए । इसके स्थान पर प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा केवल एक विवरणी भेजी जानी चाहिए । प्रपत्र की एक प्रति संलग्न है । वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि निर्धारित प्रपत्र में विवरणी की दो प्रतियां भेजी जाएं, परन्तु दो विवरणों में से एक विवरण में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों {संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित मंत्रालय/विभाग} के संबंध में सूचना और दूसरे विवरण में सभी सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/निगमों आदि के संबंध में सूचना होनी चाहिए । उपर्युक्त के अलावा, विदेशों के साथ समझौतों जैसे टी०सी०एम० कोलम्बो योजना आदि के अधीन दूसरी हैसियत में की गई नियुक्तियों के संबंध में सूचना, जैसी भी स्थिति हो, अलग-अलग विवरणों में अलग से दी जानी चाहिए ।

7. अनुरोध है कि 1979 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरणी {दो प्रतियों में} निर्धारित प्रपत्र में इस विभाग को अधिक से अधिक 15 फरवरी, 1980 तक भेज दी जाए । बाद की अवधियों के संबंध में ऐसी विवरणी प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक भेज दी जानी चाहिए । "शून्य" विवरणी के संबंध में भी सूचना भेजी जानी चाहिए ।

ह०/-
{टी०के० शर्मा}
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि आदि ।

भारत सरकार के अधीन नियुक्त किए गए गैर-भारतीयों
से संबंधित ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण ।

मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय आदि का नाम.........................

क्र०सं०	नाम	पदनाम	पद का वर्गीकरण	पद का स्वरूप अर्थात् क्या प्रशासनिक/कार्यकारी, तकनीकी/वैज्ञानिक/अथवा अन्य विशेष विदेशी भाषाओं के पद अथवा अधीनस्थ पद है ।	राष्ट्रीयता	वेतन तथा भत्ता
1	2	3	4	5	6	7

तैनाती का स्थान	भारत में पहुंचने की तारीख	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति की अवधि	क्या अधिकारी की सेवाओं के स्थान पर अन्य अधिकारी की सेवाएं लेने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं।	संभावित समय जब अधिकारी की सेवाओं के स्थान पर अन्य अधिकारी की सेवाएं ली जाएंगी।
8	9	10	11	12	13

(i) सिविल पदों पर
मंत्रालय/विभाग (अलग विवरण)

(ii) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में (अलग विवरण)

टिप्पणी :- विदेशों के साथ समझौतों जैसे टी०सी०एम० कोलम्बो योजना आदि के अधीन अन्य हैसियत में की गई नियुक्तियों का, यदि कोई हो, अन्त में उल्लेख किया जाना चाहिए।